Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding reported marriage of a man with two sisters at the same time.

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक ऐसी घटना हुई है, जो हिन्दु संस्कृति पर दाग लगाने जैसी है। एक व्यक्ति ने दो महिलाओं के साथ एक ही मंडप में शादी की है। आईपीसी की धारा 494 है, धारा 495 है, लेकिन ऐसा कोई नियम-कायदा नहीं बना है कि एक ही मंडप में एक ही व्यक्ति दो महिलाओं के साथ शादी कर ले। इसके लिए कोई न कोई नियम-कायदा बनाना चाहिए और जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें दंडित करना चाहिए। इसके माध्यम से हमारी संस्कृति को और हमारे युवाओं को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। यह मामला सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर वायरल हुआ है। मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति को ऐसा धक्का नहीं लगना चाहिए।